



मिसिल संख्या/ F. No. 19-14/2026-CIR-I (E-194149)

भारत सरकार/ Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/ Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग/ Department of Agriculture & Farmers Welfare

वनस्पति संरक्षण ,संगरोध एवं संग्रह निदेशालय/ Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage

एन .एच ,4-फरीदाबाद ,हरियाणा/ N. H. IV., Faridabad (Haryana)

Website:-www.ppqqs.gov.in, E-mail:- cibsecy@nic.in

Dated: 01.09.2026

PUBLIC NOTICE

Subject: Gazette Notification S.O. 3481(E) dated 25.06.2026 regarding exemption under Section 38(2) of the Insecticides Act, 1968.

Copy of the Gazette Notification S.O. 3481(E) dated 25.06.2026 issued by the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare regarding exemption under Section 38(2) of the Insecticides Act, 1968 is enclosed herewith for information of all stakeholders.

This issues with the approval of Secretary, CIB&RC.

Digitally signed by
Suman Jakhar
Date: 01-09-2026
15:55:59

(Suman Jakhar)
Senior Administrative Officer

Copy to:

1. Chairman, Registration Committee, Krishi Bhawan, New Delhi
2. All registered Pesticide Associations
3. PPS to JS(PP), DA&FW, Krishi Bhawan, New Delhi
4. PPS to Additional Commissioner (PP), Krishi Bhawan, New Delhi
5. PPS to PPA, Dte. of PPQ&S, NH-IV, Faridabad
6. PA to Secretary, CIB&RC, NH-IV, Faridabad
7. IT Cell Hqrs., Faridabad for uploading the same on the official website.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072026-273973
CG-DL-E-01072026-273973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3346]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2026/ आषाढ 8, 1948

No. 3346]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2026/ ASHADHA 8, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2026

का.आ. 3481(अ).— केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 38 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), दिनांक 8 नवंबर, 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4844(अ), दिनांक 8 नवंबर, 2023 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित को धारा 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

(क) प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित या उनके क्षेत्र में कीटनाशी के साथ बेहतर प्रयोगशाला व्यवसाय प्रमाणपत्र रखने वाले निम्नलिखित संगठनों की प्रयोगशालाएं, अर्थात् :-

- (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ;
- (ii) राज्य कृषि विश्वविद्यालय ;

(iii) कृषि और किसान कल्याण विभाग की संस्थाएं ;

(iv) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ; और

(v) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ;

(ख) कोई अन्य सरकारी अथवा निजी प्रयोगशाला जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित हो अथवा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बेहतर प्रयोगशाला व्यवसाय का प्रमाणन प्राप्त ऐसी प्रयोगशाला, जिसके कार्यक्षेत्र में कीटनाशक सम्मिलित हों अथवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत उद्योगों/संस्थानों की आंतरिक अनुसंधान एवं विकास इकाई (आरडीआई)।

2. पैरा 1 में निर्दिष्ट छूट, निम्नलिखित नमूना मात्रा को आयात करने के प्रयोजन के लिए होगी,-

(i) एक कलेंडर वर्ष में बीस किलोग्राम तक कीटनाशी विनिर्मिति ;

(ii) एक कलेंडर वर्ष में दस किलोग्राम तक तकनीकी कीटनाशी ;

(iii) एक कलेंडर वर्ष में पांच सौ ग्राम तक पादप वृद्धि विनियामक, घरेलू कीटनाशी और फसल उत्पाद के कटाई-पूर्व या कटाई-पश्चात् उपचार के लिए अन्य उत्पाद, अनुसंधान और विकासात्मक गतिविधियों के लिए, पंजीकरण संबंधित आंकड़ों के सृजन के लिए और केवल कीटनाशकों के साथ परीक्षण के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, अर्थात्:-

(क) प्रतिबंधित कीटनाशियों, सूक्ष्म जीवों, कूटबद्ध और लाल त्रिभुज कीटनाशियों का आयात नहीं किया जाएगा;

(ख) छूट प्राप्त करने के लिए या तो व्यक्तिगत रूप से या आनलाइन प्रणाली के माध्यम से हितबद्ध प्रयोगशालाओं या संगठन द्वारा, जैसा कि उपबंध-I में है, प्रार्थनापत्र दिया जाएगा;

(ग) किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए आयातित मात्रा में उपयोजन न करने के लिए उपाबंध-I में विनिर्दिष्ट उपक्रम विधिमान्य प्रत्यायन प्रमाणपत्र के साथ दिया जाएगा;

(घ) प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड या बेहतर प्रयोगशाला व्यवसाय प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को, उनके प्रत्यायन का सत्यापन करने के पश्चात् छूट प्रदान की जाएगी;

(ङ) केवल वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त/पंजीकृत उद्योगों/संस्थानों की ऐसी आंतरिक अनुसंधान एवं विकास इकाइयों (आरडीआई) को ही, उनकी मान्यता की स्थिति का सत्यापन किए जाने के उपरांत, छूट प्रदान की जाएगी;

(च) छूट प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध और कृषि और किसान कल्याण विभाग और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय की वेबसाइट में प्रकाशित प्रयोगशालाएं, केंद्रीय कीटनाशी बोर्ड और पंजीकरण समिति के सचिवालय और वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय को वार्षिक रिपोर्ट जिसमें उनके द्वारा किए हुए अनुसंधान और विकास कार्य का विवरण उपबंध-II में विनिर्दिष्ट प्ररूप में व्यक्तिगत या आनलाइन प्रणाली के माध्यम से समर्पित करना आवश्यक होगा;

(छ) प्रयोगशाला अथवा अनुसंधान एवं विकास इकाई (आरडीआई), गैर-न्यायिक स्टॉप-पत्र पर वचन देगी कि कीटनाशियों की आयातित मात्रा केवल अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों, पंजीकरण संबंधी आंकड़ों के सृजन के

लिए तथा कीटनाशियों से संबंधित परीक्षण करने के लिए उपयोग की जाएगी और उसे किसी भी रीति में वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा;

3. इस अधिसूचना के उपबंधों या छूट की किसी शर्त का उल्लंघन करने वाली किसी भी प्रयोगशाला को कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा कीटनाशी नियम, 1971 के उपबंधों के अंतर्गत के अधीन दंडनीय होगी।

4. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की दिनांक को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 13035/06/2022-पीपी-1]

मुक्तानंद अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण)

उपबंध-1

कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 38(2) के अधीन कीटनाशियों के साथ प्रयोग करने में लगे संगठन के लिए छूट की अपेक्षा के लिए प्ररूप

1. आयातक का नाम और पता :
2. विदेशी विनिर्माता और प्रदायकर्ता का नाम और पता :
3. प्रयोगशाला की प्रत्यायन प्रास्थिति, संख्या और उसका कार्यक्षेत्र (विधिमान्य प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें) :
4. उस प्रयोगशाला का नाम और पता, जहां कीटनाशियों के साथ किए जाने वाले प्रयोग प्रस्तावित हैं :
5. ऐसे व्यक्ति का नाम और संपर्क ब्यौरे, जिसके पर्यवेक्षण के अधीन प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है :

प्रयोगशाला के भारसाधक का हस्ताक्षर
आवेदक का नाम और पदनाम, संपर्क ब्यौरे और ई-मेल आईडी

वचनबंध

मैं.....पुत्र या पुत्री.....निवासी.....अपनी हैसियत से के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में सत्यापित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सत्य और सही हैं और मैं उपरोक्त आवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूं और मैं वचन देता हूं कि किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कीटनाशकों की आयातित मात्रा का अपयोजन नहीं करूंगा और इसकी कुल मात्रा केवल अनुसंधान और विकासात्मक क्रियाकलापों, पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों के सृजन और केवल कीटनाशकों से संबंधित प्रयोगों को जारी रखने के लिए किया जाएगा और यदि सूचना मिथ्या, गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो मैं कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 के सुसंगत उपबंधों के अधीन उत्तरदायी होऊंगा।

स्थान :

दिनांक:

हस्ताक्षर
नाम

उपबंध-II

केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति, वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय को आयातित कीटनाशकों के साथ किए गए अनुसंधान और विकास कार्य तथा प्रयोगों के प्रस्तुतिकरण के लिए वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

1. आयातक का नाम :
2. विदेशी विनिर्माता और प्रदायकर्ता का नाम :
3. प्रयोगशाला की प्रत्यायन प्रास्थिति, संख्या और कार्यक्षेत्र :
4. रसायन का नाम—
 - (i) सामान्य अंतराष्ट्रीय स्वीकृत नाम
 - (ii) रासायनिक नाम, बैच संख्या, विनिर्माण और समाप्ति की दिनांक
 - (iii) क्या कीटनाशी अधिनियम, 1968 की अनुसूची में सम्मिलित है या नहीं
5. (क) विषाक्तता (एलडी 50 मान)
 - (i) मुखवर्ती एलडी 50 (चूहा).....मिग्रा./किग्रा. बी.डब्ल्यू
 - (ii) तीक्ष्ण चर्म एलडी 50 (चूहा).....मिग्रा./किग्रा. बी.डब्ल्यू
 - (iii) तीक्ष्ण अभिश्वसन एलसी 50 (चूहा).....मिग्रा./ली.

(ख) क्या इसके मूल अथवा विनिर्माण के देश में इसका विनिर्माण, विक्रय, वितरण या प्रयोग प्रतिषिद्ध है या अनुज्ञात नहीं है या इस पर अन्य कोई निर्बंधन अधिरोपित किया गया है। यदि हां, तो कृपया पूर्ण ब्यौरा दें।
6. मुख्य सक्रिय समूह, जिससे रसायन संबंधित है :-
7. विनिर्दिष्ट प्रयोजन, जिसके लिए रसायन का आयात अपेक्षित है :-
8. फसल या नाशक जीव, जिसके संबंध में इनका इन विट्रो या इन विवो परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है :-
9. (क) संस्थान का नाम, जहां देश में इसका परीक्षण किया जाना है ;

(ख) व्यक्ति का नाम, पदनाम, जिसके पर्यवेक्षण में परीक्षण किए जाने हैं ;
10. आयातित मात्रा—
11. अनुसंधान के प्रकार और किए गए विकास/प्रयोग :
 - i.
 - ii.
 - iii.
12. बची हुई मात्रा :
13. पैकिंग का प्रकार :
14. प्रवेश का पत्तन :
15. आयातित कीटनाशक या नाशकजीवमार का रूपयों में मूल्य —
16. क्या मूल देश अथवा आयातित देश में परीक्षण, विश्लेषण, परीक्षण या जांच पहले से ही किया जा रहा है और यदि, हां, तो कृपया ब्यौरा दीजिए।

आवेदक के हस्ताक्षर.....

आवदेन का नाम.....

सत्यापन

मैं, पुत्र या पुत्री, निवासी अपनी हैसियत से के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई विशिष्टियाँ सत्य और सही हैं और मैं उपरोक्त आवेदन पर हस्ताक्षर करने और उसका सत्यापन करने के लिए सक्षम हूँ और मैं वचन देता हूँ कि किसी भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कीटनाशकों की आयातित मात्रा का अपयोजन नहीं करूँगा और इसकी कुल मात्रा केवल अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों, पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों के सृजन और केवल कीटनाशकों से संबंधित प्रयोगों को जारी रखने के लिए किया जाएगा। यदि सूचना मिथ्या, गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो मैं कीटनाशी अधिनियम, 1968 और कीटनाशी नियम, 1971 के सुसंगत उपबंधों के अधीन उत्तरदायी होऊँगा।

हस्ताक्षर

नाम

स्थान

दिनांक

संस्था या संगठन या प्रयोगशाला की मुहर

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2026

S.O. 3481(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 38 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) *vide* number S.O. 4844 (E), dated the 8th November, 2023, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section-3, Sub-section (ii), on 8th November, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby exempts the following from the provisions of section 9 and the rules made thereunder, namely:-

(a) the laboratories of the following organisations accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or having Good Laboratory Practices certification with insecticides in their scope, namely:-

- (i) Indian Council for Agricultural Research;
- (ii) State Agriculture Universities;
- (iii) Institutions of Department of Agriculture and Farmers Welfare;
- (iv) Department of Science and Technology; and
- (v) Department of Scientific and Industrial Research;

(b) any other Government or private laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or having Good Laboratory Practices certification by Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology with insecticides in their scope or In-

house R&D unit (RDI) of Industry/Institutions recognised/ registered by the Department of Scientific and Industrial Research.

2. The exemption referred to in paragraph 1 shall be for the purpose of importing sample quantity of,

- (i) insecticide formulation to the tune of up to twenty kilograms in a calendar year;
- (ii) technical insecticides to the tune of ten kilograms in a calendar year;
- (iii) plant growth regulators, household insecticides and other products for pre-harvest or post – harvest treatment of crop produce to the tune of five hundred grams in a calendar year,

for research and developmental activities, registration related data generation and for carrying out experiments with the insecticides only, subject to following conditions, namely:-

- (a) there shall be no import of banned insecticides, micro- organisms, coded and red triangle insecticides;
- (b) an application as in **Annexure-I** shall be made by interested laboratories or organisation, either in person or through online system, for seeking exemption;
- (c) an undertaking as specified in **Annexure-I** for not diverting the imported quantity for any commercial purpose shall be furnished along with valid accreditation certificate;
- (d) the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or Good Laboratory Practices accredited laboratories shall be exempted after verifying their accreditation;
- (e) only such In-house R&D unit (RDI) of Industries/Institutions recognised/ registered by the Department of Scientific and Industrial Research shall be exempted after verifying their recognition status;
- (f) the laboratories enlisted for the exemption and published on the website of Department of Agriculture and Farmers Welfare and the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage shall be required to provide annual report to the Secretariat of Central Insecticide Board and Registration Committee and the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage giving details of the research and development work carried out by them, in the form specified in **Annexure-II** in person or through online system.
- (g) the laboratory or R&D unit (RDI) shall give an undertaking on non-judicial stamp paper that the imported quantity of insecticides shall be used only for research and development activities, registration related data generation and for carrying out experiments with the insecticides only and shall not be used in any manner for commercial activities;

3. Any laboratory contravening the provision of this notification or of any condition of exemption shall be punishable under the provisions of the Insecticides Act, 1968 and the Insecticides Rule, 1971.

4. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 13035/06/2022-PP-I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy. (Plant Protection)

Annexure-I**FORM**

TO SEEK EXEMPTION UNDER SECTION 38(2) OF THE INSECTICIDES ACT, 1968 FOR THE ORGANISATION ENGAGED IN CARRYING OUT EXPERIMENTS WITH INSECTICIDES

1. Name and address of the importer:
2. Name and address of the overseas manufacturer and supplier:
3. Accreditation status, number and scope of laboratory (enclose valid certificate copy):
4. Name and address of the laboratory where the experiments with insecticides is proposed to be conducted:
5. Name and contact details of the person under whose supervision the experiments are proposed to be conducted:

Signature of the in-charge of laboratory
Name and Designation contact details, and email- id of the applicant

Undertaking

I..... Son or Daughter of..... Resident of.....do hereby verify in my capacity as authorised signatory of that the particulars given above are true and correct and that I am competent to sign and verify the above application and also give an undertaking for not diverting the imported quantity of insecticides for any commercial purpose and then entire quantity shall be used only for research and development activities, registration related data generation and carrying out experiments with insecticides only and in case the information is found to be false, incorrect or misleading, I shall be held responsible under relevant provisions of the Insecticides Act, 1968 and Insecticides Rules, 1971.

Place:

Date:

Signature.....

Name.....

Annexure-II**ANNUAL REPORT FORM FOR SUBMISSION OF THE RESEARCH AND DEVELOPMENT WORK AND EXPERIMENTS CARRIED OUT WITH IMPORTED INSECTICIDES, TO THE SECRETARIAT OF CENTRAL INSECTICIDE BOARD AND REGISTRATION COMMITTEE, DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION QUARANTINE AND STORAGE**

1. Name of the importer-
2. Name of overseas manufacturer and the supplier-
3. Accreditation status, number and scope of the laboratory-
4. Name of the chemical-

- i. Common International accepted name
- ii. Chemical name, batch number, manufacturing and expiry date.
- iii. Whether included in the schedule to the Insecticide Act, 1968

5. (a) Toxicity (LD50 value)
 - i. Oral LD50 (Rat).....mg/kg b.w.
 - ii. Acute Dermal LD50 (Rat).....mg/kg b.w.
 - iii. Acute inhalation LC50 (Rat).....mg/L

(b) Whether manufacture, sale, distribution or use is prohibited or not allowed in the country of its origin or manufacture or any other restriction has been imposed thereon. If so, please give full details.

5. Main active group to which the chemical belongs:-
6. Specific purpose for which the chemical required for import:-
7. Crops or pests against which this is to be tested in vitro and in vivo:-

9. (a) Name of the institute where it is to be tested in the country;

(b) Name, designation of the person under whose supervision tests are to be conducted;

10. Quantity imported –

11. Type of Research and development/Experiments carried:

- i.
- ii.
- iii.

12. Quantity left:

13. Type of packing

14. Port of entry

15. Value in rupees of the imported insecticide or pesticide

16. Whether any examination, analysis, tests or trials are already being carried out in the country of origin or in the importing country, if so, please give details.

Signature of the applicant:.....

Name of the applicant:.....

Verification

I..... Son or Daughter of..... Resident of
.....do hereby verify
in my capacity as authorised signatory of
.....that the particulars given
above are true and correct and that I am competent to sign and verify the above application and also give
an undertaking for not diverting the imported quantity of insecticides for any commercial purpose and
the entire quantity is used only for research and development activities, registration related data
generation and carrying out experiments with insecticides only. In case the information is found to be
false, incorrect or misleading, I shall be held responsible under relevant provisions of the Insecticides
Act 1968 and Insecticides Rules, 1971.

Signature.....

Name.....

Place.....

Date.....

Seal of the Institution or Organization or laboratory